5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

॥ॐ॥

हमकि सुनीलचंद सुराना कर्ता एच यू एफ पुत्र स्व० श्री निर्मलचंद सुराना स्वयं व वली व सरपरस्त नवजात शिशु जन्म दिनांक ६-११-१९८५ व श्रीमती मंगला सुराना पत्नी श्री सुनीलचंद सुराना निवासीयान २०।१५१ चिपीटोला शहर आगरा मेम्बरान सम्मिलित हिन्दू परिवार उक्त के हैं ।

जो कि एक किता जायदाद मिनजुमला नम्बरी ४२।१३८ वाके कृष्णा कुंज मुहाल गंगा मुत्तसिल मजरा मौजा गैलाना लोहामण्डी वार्ड शहर आगरा रकबई ५६६ ६६ वर्गगज अर्थात् ४७३ ७८ वर्गमीटर पैमायशी पूरब मे १०६ फुट ३ इंच व पश्चिम मे १०६ फुट ३ इंच व उत्तर मे ४८ फुट व दक्षिन मे ४८ फुट जिसमे एक टीन पोश चबूतरा रकबई १५ वर्गमीटर अबड़ तामीर है और ४५८ ७८ वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल है मय जुमला हैं व हकूक मुतालिका निम्नसीमांकित--

पूर्व-जायदाद मिनजुमला नं० ४२।१३८ श्रीमती तारादेवी ।

पश्चिम-जायदाद मिनजुमला नं० ४२।१३८ श्री सतीशचंद एच यू एफ ।

उत्तर-सड़क २० फुट चौड़ी ।

दक्षिन-रास्ता १२ फुट चौड़ा ।

तनहा मिलकियत व मकबूजा हमारे सम्मिलित हिन्दू परिवार का है अन्यकोई साझी व हिस्सेदार किसी भी किसम का नहीं है कि जो माने इंतकाल वगैरा का होवे व नीज जायदाद मजकूर आज तक हर तौर से करजे व बार व चार्ज व इंतकाल वगैरा से कतई पाक व साफ है । चूंकि जायदाद मजकूर से हमारे एच यू एफ को कोई फायदा नहीं है अतः जायदाद मजकूर को अपनी मिलकियत मे रखने से कोई फायदा नहीं है । अतः उसको बेचकर अन्य

4056/2 ... 21/137 ...

27-12-85

विक्रेता

परेश स्टाम्प विक्रेता

73,665/80

Saledeed 73,665/80

Fees 25 6 257

विक्रय हस्ताक्षेप ... मालिकान

रजिस्ट्री शुल्क, शुल्क जि० योग, योग

251/- 6/- 257-00

सुनील चन्द्र पुत्र निर्मल चन्द

व्यापार निवासी धोलिया आगरा

ने कार्यालय में रजिस्ट्री हेतु

दिनांक 13-1-86

समय 3-4

... ... 376 ... ... 23 ...

Sunil Chand Surae

13-1-86

इस लेख में की सम्पत्ति ... ... 73,665/80 (... ... ...)

बिक्री ... 68,665/80 (... ... ...)

... ...

... ... सुनील चन्द्र

... ... सुनील चन्द्र

... ... पेशा व्यापार

... ...

... ... आगरा

... मोहन कुमार

... ... अग्रवाल

... 29/137 ... ... आगरा ...

S.R.

13.1.86

Sunil Chand Surae

68,665/80

M.K. Agarwal

उप निबन्धक

13

3000Rs.

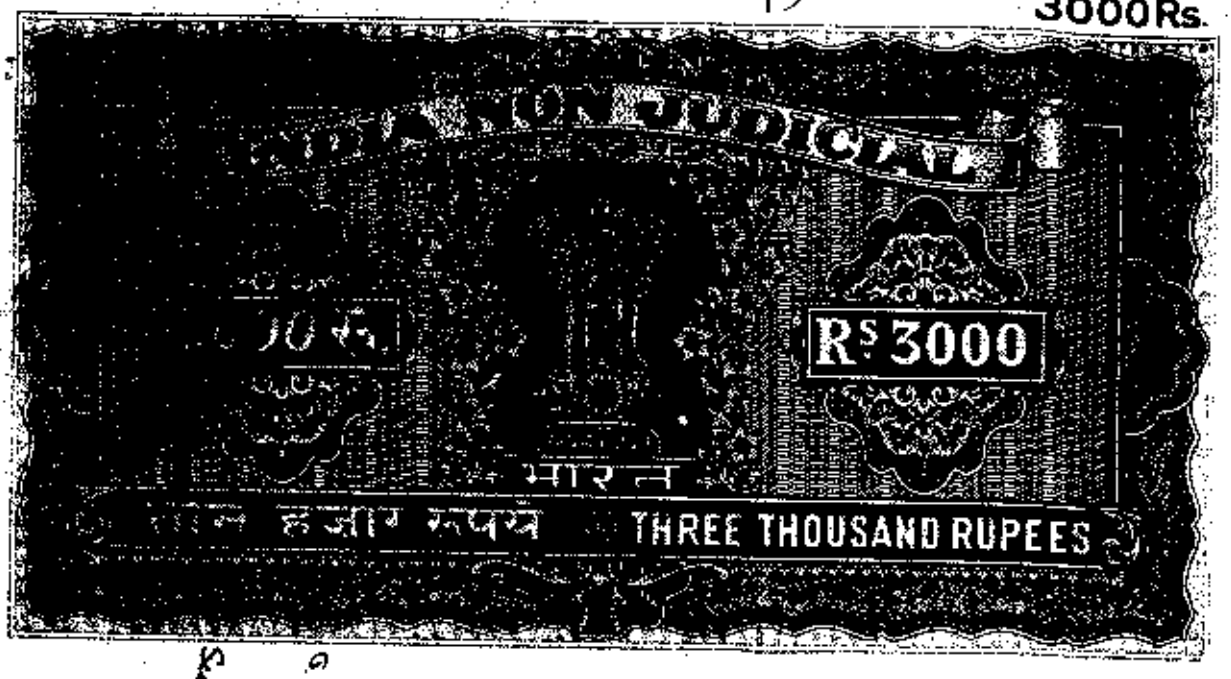

INDIA NON JUDICIAL

Rs 3000

भारत

तीन हजार रुपये THREE THOUSAND RUPEES

तरीके पर लाभ उठाना चाहते है और इस वक्त खरीदार जायदाद की बहुत माकूल कीमत अदा कर रहा है जिसमे हमारे एच यू एफ का सरासर फायदा है । अतः हमने आयकर अधिनियम सन् १९६१ की धारा २३०ए (१) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी श्री जगदेवशि बार्ड सर्किल सेकिण्ड आगरा से दिनांक १२-१२-८५ को प्राप्त कर लिया है । जो इस बैनामा द्वारा कार्यालय सब रजिस्टार आगरा मे दाखिल किया जा रहा है । हमारा सम्मिलित हिन्दू परिवार नगर भूमि अधिकतम सीमारोपण एवं विनियमन अधिनियम सन् १९७६ की धारा ५(३) व १०(४) से प्रतिबंधित नहीं है व धारा ४ की सीमा के अतिरिक्त कोई रिक्त भूमि हमारेपास नहीं है तथा उक्त जायदाद किसी भी सीलिंग वाद मे अतिरिक्त रिक्त भूमि [illegible] घोषित नहीं है व उक्त जायदाद की जमीन नजूल।राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है ।

अतः हम मुकिरान ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि इंद्रिय के बिला बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के खूब सोच समझ कर जायदाद मजकूर को साथ तमाम हकूक व हकूक दाखिली व खारिजी मयमुतअल्ला हकूक बिला छोड़े किसी वस्तु व अधिकार के बाजारी कीमत से बिलमुक्ता व एवज ७३,९६५)८० तिहत्तर हजार नौ सौ पैंसठ रुपया अस्सी पैसे कि आधे जिसके छत्तीस हजार आठ सौ बतीस रुपया नब्बे पैसे होते है बदस्त श्री कन्हैयालाल अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल निवासी—

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

२६।१३७ राजामण्डी शहर आगरा के शुद्ध टायटिल से बैय कतई की और बेच दी।

कीमत के रुपया में से पांच हजार रुपया बजरिये बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजामण्डी आगरा नम्बरी टी टी।९-१७-५५६४२५ दिनांक ३१-७-८५ बनाम श्री सुनीलचंद सुराना के इस बैनामा से पहले खरीदार से वसूल पाये और शेष अड़सठ हजार छः सौ पैंसठ रुपया अस्सी पैसे बजरिये बैंकर्स चैक नम्बरी डी ई-५३४१०७ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजामण्डी आगरा दिनांक १०-९-१९८६ बनाम सुनीलचंद सुराना के बक्त रजिस्टरी बैनामा हाजा के खरीदार से वसूल पाना करार पाया इस तरह बाबत कीमत अब कुछ पाना बाकी नहीं है और न कोई ताल्लुक व सरोकार किसी भी किस्म का जायदाद मुबैया से हमारा रहा और न आईन्दा होगा और कब्जा व दखल जायदाद मुबैया पर से अपना हटाकर खरीदार का करा दिया और खरीदार को जायदाद मुबैया का मालिक मुस्तकिल व काबिज बना दिया तथा शुद्ध टायटिल दे दिया अब खरीदार को पूरा अधिकार है कि वह जायदाद मुबैया से बहैसियत मालिकाना चाहे जैसे फायदा उठावे रहन व बैय व हस्बेअ व तामीर वगैरा जो चाहे सो करे और चाहे जिस तौर इस्तेमाल में लावे और अपने नाम का दाखिल खारिज दफ्तरान मजाज में कराले हम हर तौर रजामन्दी देंगे आज तक के बकाया टैक्स आदि हम अदा करेंगे और आज के बाद के खरीदार अदा करे।

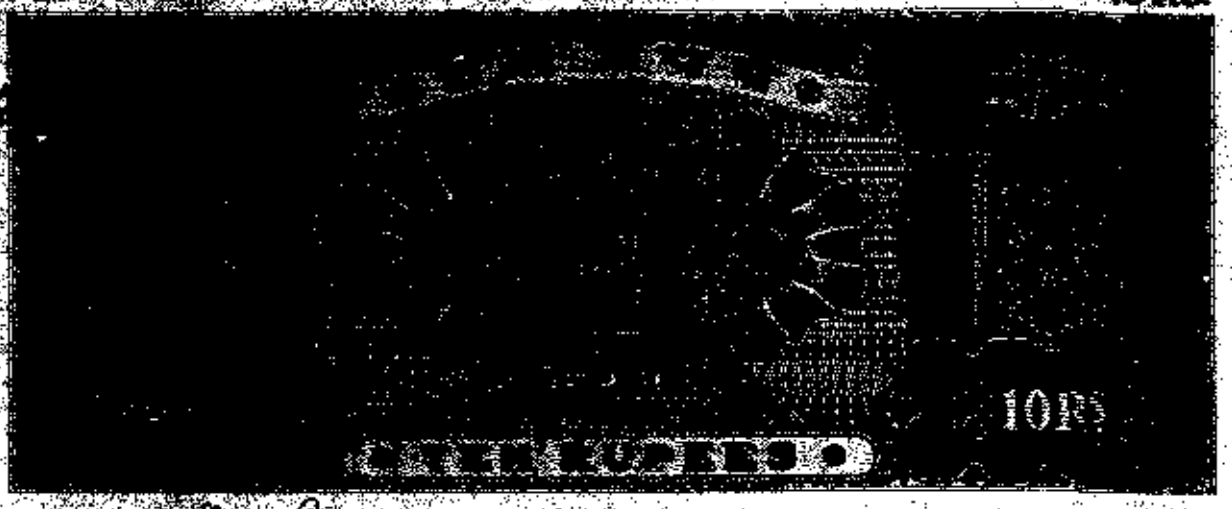

10Rs.

-४-

यदि भविष्य मे कोई दावेदार किसी भी किसम का बाबत जायदादमुबेया पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा खरीदार से करे और उसकी वजह से या डिफेक्टिव टायटिल से या नाबालिग मौसूफ के दौरान नाबालिगी या बाद हासिल करने बलूगियत के किसी दावे व झगड़े से कबजा व दखल जुज या कुल जायदाद मुबेया खरीदार से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरेसमन मय सूद व हरजा व खरचा के व जिम्मे जात खास व जायदाद हर किसम हम बायान व वारिसान हम बायान व नाबालिग मौसूफ के है और आयंदा होगा और इसमे हमे व वारिसान हमारी को व नाबालिग मौसूफ को कभी कुछ उजर न होगा। जायदाद नम्बरी ४२।१३८ सन् १९८१-८६ के असेसमेन्ट मे ३००) रुपया साल पर अंकित है जिस पर ३९) रुपया साल हाउस टेक्स आयद है जिसका जुज भाग बजरिये बैनामा हाजा बेचा गया है जो लगभग सौ रुपया साल अनुमानित आमदनी किराया का है। बैनामा हाजा का जुमला खरचा खरीदार ने किया है।

अत: बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।
नोट-पर्त दो की सतर ११ मे भूमि व घोषित के बीच का शब्द कटाहैव सतर १० मे अतिरिक्त से बाद का शब्द कटा है जो हमको मंजूर है ।
तै दिनांक १३-९-१९८६ ई० । मसौदा -पं० हनुमानप्रसाद कौशल निवासी नूरीदरवाजा आगरा। टायपकर्ता० पूरनचन्द शर्मा सिविल कोर्ट आगरा।

Sunil Chand Suraj

अंगूरी सुराना

50/8 कन्हैया लाल अग्रवाल पुत्र बाबूलाल अग्रवाल

[illegible] २५००)

[illegible]

दिनांक 27-12-05

पदेन स्टाम्प विक्रेता

उप कोष, बाराबंकी

[illegible]

बही सं. [illegible] जिल्द 3308 के पृष्ठ 61/62 [illegible] क्रमांक 310

[illegible] 3346 [illegible] 385/386

3/4584 [illegible] रजिस्ट्री की गई

ह०

PLAN OF PROPERTY NO. 42/138
SITUATED AT HALWAI KI BAGICHI AGRA
OWNER- SRI SUNIL CHAND SURANA
SOLD TO- SRI KANHIYA LAL AGARWAL
SHOWN IN RED COLOUR.
TOTAL AREA-473.78 SQ.MT.
COVERED AREA- 15.00 SQ.MT.
OPEN AREA-458.78 SQ.MT.

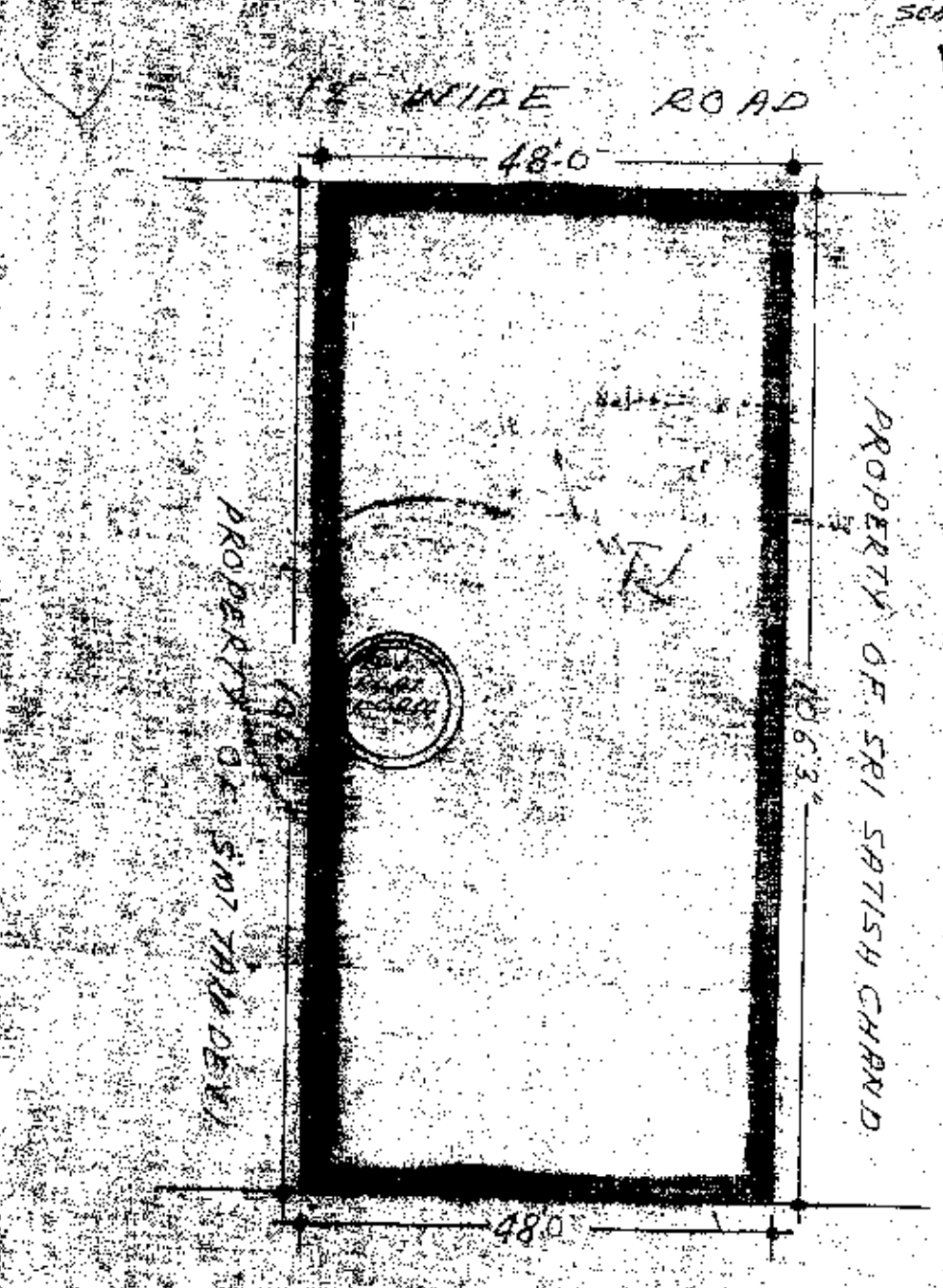

TRACED BY
SURVEYOR